



# कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-MAIL- dean.shahdol@gamil.com. OFFICE NO. 07652-243000 websit www.Gmc.shahdol.  
क्रमांक/स्था./एम.सी./2020/ 4327.. शहडोल, दिनांक 28/8./2020

## विज्ञप्ति

कोविड-19 (कोरोना वायरस) महामारी की रोकथाम हेतु अस्थायी रूप से (30 सितम्बर 2020) तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक मानव संसाधन (डाटा इन्ट्री ऑपरेटर) की अस्थायी नियुक्ति (प्रचलित कलेक्टर दर कुशल श्रमिक के अनुसार) प्रतिमाह मानदेय पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में कार्य करने हेतु की जानी है। जिसकी पूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 03.09.2020 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या
01	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	10

- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु की जा रही है। जिसकी अवधि 30 सितम्बर 2020 तक होगी एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल से प्राप्त आदेशानुसार बढ़ाई-घटाई जा सकती है।
- 3. आवेदन पत्र केवल व्यक्तिगत रूप से बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चांपा शहडोल (म.प्र.) पिन 484001 में दिनांक 03.09.2020 समय - सायं 05 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। उपरोक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 4. आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को राशि रु. 500/- तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार राशि रु. 300/- संस्था के नाम :- New Govt. Medical College Shahdol Autonomous Society खाता क्रमांक :- 3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787 बैंक का नाम :- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम डिमांड ड्राफ्ट, आवश्यक रूप से संलग्न करें। जिन आवेदन पत्रों में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए जाने अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
- 5. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 6. चयनित अभ्यर्थी को मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल के अंतर्गत जिले में प्रचलित कलेक्टर दर (कुशल श्रमिक) के आधार पर देय होगा।
- 7. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।



**पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण**


क्र.	पद संख्या	पदनाम.	शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यता)	मासिक मानदेय
1	10	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	1. अध्येर्षी ने हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/पत्र प्राप्त हो। 3. मेप आई.टी. द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. (कम्प्यूटर दक्षता + हिन्दी + अंग्रेजी टाइपिंग के साथ) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।	रु. 10510/ प्रतिमाह (प्रचलित कलेक्टर दर अनुसार) (कुशल श्रमिक)

• शासकीय कार्यालय में कार्यानुभव वाले अभ्यर्षी को प्राथमिकता दी जावेगी।

**निरर्हतायें :-**

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी : जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी :- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी :- मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

  
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
 शहडोल (म.प्र.)